संख्याः फिन–ए–सी(17)–1/2024
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषकः

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171002, 10 अप्रैल, 2024

विषयः– **हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 41, 43 और 44 के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान, पुनर्विनियोजन और आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका प्रस्ताव प्रस्तुत करने बारे दिशा–निर्देश/प्रक्रिया।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या फिन–ए–सी(3)–1/2020 दिनांक 28.01.2021 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि इस पत्र द्वारा उक्त विषय पर विभागों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन विभागीय प्रस्तावों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान, पुनर्विनियोजन और आधिक्य एवं अभ्यर्पण के प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त विभाग के उक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। विभागों ने आम प्रवृति बना ली है कि वे साल भर अतिरिक्त राशि की मांग करते रहते हैं। विभागों को अतिरिक्त अनुदान/विनियोग के प्रस्तावों को Supplementary proposals प्रस्तुत करने तक स्थगित करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की मांग करने से पूर्व विभागों को उपलब्ध बचतों का आकलन करना चाहिए और पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग को पूरा करना चाहिए। यह भी देखा गया है कि अनुपूरक अनुदान मांगों के पारित होने के पश्चात् भी अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं जो कि असंवैधानिक है।

इस विभाग के ध्यान में यह भी आया है कि विभाग अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अलग–अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं, परन्तु अंत में वे न तो सम्पूर्ण प्रावधान या उसके किसी हिस्से को ही खर्च कर पाते हैं बल्कि कई बार तो मूल

जारी...

बजट प्रावधान को भी नहीं खर्च पाते हैं। इसके कारण अन्य योजनाएं निधियों की आवश्यकता के कारण अधूरी रह जाती है तथा परियोजना लागत में भी बढ़ौतरी होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग या बचत का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है जबकि अतिरिक्त राशि की मांग लगभग वास्तविकता के आधार पर की जानी चाहिए ताकि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचा जा सके। साथ ही विभाग कई स्कीमों में राशि अभ्यर्पित करने के पश्चात् उन्हीं स्कीमों में अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं जो कि नियमों के विरूद्ध है।

यह भी देखा गया है कि विभागों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बजट प्रावधान से ज्यादा लाभार्थियों के मामले स्वीकृत किए जा रहे हैं और फिर विभाग अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं जिससे राज्य कोष पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। विभागों को स्कीमों के उस वर्ष के बजट प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए ही लाभार्थियों के मामले स्वीकृत करने चाहिए।

इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा बजट अनुमान/अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रस्ताव इस विभाग को निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं जिस कारण इस प्रस्तावों को समय पर अंतिम रूप देने में भी वित्त विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक विभागो द्वारा भी प्रस्ताव बिना परीक्षण किए ही इस विभाग को प्रेषित किए जा रहे हैं जिससे इन मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब होता है। विभागों को ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को तीन वर्षो के वास्तवितक व्यय और चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधान/अद्यतन व्यय का विवरण और मांग का औचित्य देते हुए भेजने चाहिए।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अतिरिक्त राशि की मांग करने/पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव भेजने से पूर्व निम्न तथ्यों को ध्यान में रखें:-

1. विभाग उपलब्ध बचतों का आकलन करें और पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग को पूरा करें या फिर अतिरिक्त अनुदान/विनियोग के प्रस्तावों को Supplementary proposals प्रस्तुत करने तक स्थगित करने की सम्भावनाएं तलाशें।
2. अनुपूरक अनुदान मांगें पारित होने के पश्चात् CSS/न्यायालय द्वारा आदेशित मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में अतिरिक्त राशि की मांग न करें।
3. जिन स्कीमों में विभाग राशि अभ्यर्पित कर देते हैं उनमें अतिरिक्त राशि की मांग न करें क्योंकि यह HPFR, 2009 के नियम, 44 के विरूद्ध है।

जारी...

4. अनुपूरक अनुदान मांगों में विभाग वास्तविकता के आधार पर ही अतिरिक्त राशि की मांग करें ताकि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचा जा सके।

5. विभाग स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या उस वर्ष के बजट प्रावधान तक ही सीमित रखें ताकि राज्य कोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।

6. बजट अनुमान/आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण वित्त विभाग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किए जाएं ताकि बजट अनुमानों/अनुपूरक अनुदान मांगों को समय पर अंतिम रूप दिया जा सके।

7. अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव पूर्व तीन वर्षों के वास्तविक व्यय, चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधान/अद्यतन व्यय को दर्शाते हुए प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त पूर्ण औचित्य दर्शातु हुए वित्त विभाग को प्रेषित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों के ध्यान में लाने की कृपा करें। अगर कोई अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी इन दिशा–निर्देशों की उल्लंघना करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

भवदीय,

(डॉ0 अभिषेक जैन)
सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश. शिमला–171003.
2. निदेशक, कोष लेखा एवम् लॉटरीज़, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

(डॉ0 अभिषेक जैन)
सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

***

No. Fin-A-C (3)-1/2020
Government of Himachal Pradesh
Finance (Budget) Department

From

The Additional Chief Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh

2. All the Heads of Departments, H.P.

28.01.2021

Subject:- Instructions/procedure for submission of proposals for supplementary appropriations/ Re-appropriation and Excess and surrender Statements under Rules 41,43 & 44 of H.P. Financial Rules, 2009.

Sir,

I am directed to invite your attention to the above subject and to say that after repealing of the H.P. Budget Manual, 1971 by notification of the H.P. Financial Rules, 2009, the procedure/guidelines for submission of proposals for supplementary appropriations/ re-appropriations, Excess and Surrender Statements by the departments and issuance of orders of re-appropriations/surrender by the Finance Department was under examination. After careful consideration, following procedure is notified under Rules 41,43 and 44 of H.P. Financial Rules, 2009 :-

1. Before submitting the proposal for supplementary appropriations, the concerned Head of Department should locate savings to meet out the additional expenditure by way of re-appropriation for which department shall submit proposal with justified reasons in the format prescribed by the Finance Department vide letter of even number dated 18th August,2020.

2. Heads of Department may explore the possibility of postponing the proposal for supplementary appropriation till submission of Excess and Surrender Statements which are due to be submitted by them in the months of October and January.

3. Since the powers of re-appropriation rests with the Finance Department, it is clarified that after accepting ıe re-appropriation proposal of the Department, Finance Department will issue re-appropriation orders in the proforma annexed to these instructions, during each financial year

4. No change will be made in re-appropriations, once the orders are issued by the Finance Department. Hence Heads of departments may

ensure to submit actual demand/saving in the proposals/excess and surrender statements.

5. No re-appropriation/surrender will be accepted after close of the financial year i.e. 31st March. As such no order for re-appropriation/surrender will be issued after 31st March.

6. If savings are available for one Head of Department, The Finance Department will re-appropriate this saving to other HOD, within same demand to avoid unnecessary supplementary grants.

7. Although it is expected that the departments will submit excess and surrender statements as per prescribed schedule, yet if any department fails to submit the statement of E&S/proposal for re-appropriation, the Finance Department will issue orders of re-appropriations/surrender based on the information available with this department.

8. It is also clarified that for any saving remaining after re-appropriation in each demand for grants, the Finance Department will issue a consolidated order of surrender as on 31st March, every year for each demand.

It is requested that all concerned may please directed to adhere to these instructions to ensure financial discipline and to avoid unnecessary paras in CAG reports.

Yours faithfully

(Pardeep Kumar)
Deputy Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh

No. As above **Dated, 28 Jan,2021.**

Copy forwarded to Principal Accountant General,(A&E), HP, Shimla for information please.

(Pardeep Kumar)
Deputy Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh